

 <p>आरईसी REC</p> <p>असीमित ऊर्जा, अनन्त संभावनाएं Endless energy. Infinite possibilities.</p>	<p>आरईसी लिमिटेड (पूर्व में रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड) भारत सरकार का उद्यम (भारत सरकार का उद्यम)</p> <p>पंजीकृत कार्यालय: कोर-4, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7 लोधी रोड नई दिल्ली 110003 दूरभाष +91 11 4309 1545 फैक्स +91 11 2436 2618 ईमेल malti@recl.in सीआईएन: L40101DL1969GOI005095 वेबसाइट www.recindia.com</p>
--	---

दिनांक: 19.01.2022

सं. एलपीसी सं. 002/2021-22

ऋण नीति परिपत्र संख्या 002/2021-22

विषय: आरईसी लिमिटेड की ऋण दरों में संशोधन

सक्षम प्राधिकारी ने विभिन्न योजनाओं, ऋण उत्पादों और उधारकर्ताओं की श्रेणियों के लिए ब्याज दरों में कटौती को मंजूरी दे दी है, जैसा कि अनुलग्नक क में संक्षेप में दिया गया है, जिसे अनुलग्नक ख में प्रदर्शित प्रभावी ब्याज दरों के साथ पढ़ा जाता है।

संशोधित दर 20 जनवरी, 2022 से अगली अधिसूचना तक लागू रहेगी।

मंजूरी पत्र जारी करने वाली कंपनी के पंजीकृत कार्यालय/कॉर्पोरेट कार्यालय में वरिष्ठ मुख्य कार्यक्रम प्रबंधक/मुख्य कार्यक्रम प्रबंधक और अन्य अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया जाता है कि लागू ब्याज दरें और अन्य नियम और शर्तें सभी संबंधितों को विधिवत सूचित की जाएं और मंजूरी पत्र में उचित ढंग से शामिल की जाएं।

मालती सुंदरराजन

कार्यपालक निदेशक (वित्त-एएलएम)

संलग्न : अनुलग्नक क और ख

वितरण:

1. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक कार्यालय और निदेशक) वित्त (
2. कार्यपालक निदेशक) एसओपी/(कार्यपालक निदेशक (पीएसपीएम), कार्यपालक निदेशक)ऋण एवं वसूली), कार्यपालक निदेशक (टी एंड डी एवं उत्पादन)
3. क्षेत्रीय कार्यालयों/पीओ और राज्य कार्यालयों में सभी वरिष्ठ मुख्य कार्यक्रम प्रबंधक/मुख्य कार्यक्रम प्रबंधक
4. विभागाध्यक्ष) आईटी - (आरईसी वेबसाइट और इंटरनेट पर अपलोड करने की व्यवस्था के लिए
5. विभागाध्यक्ष) राजभाषा - (हिंदी में अनुवाद के लिए

आरईसी लिमिटेड

उधार दरें 20 जनवरी, 2022 से अगली अधिसूचना तक प्रभावी

क. मासिक रेस्ट के आधार पर, 1 वर्ष के रीसेट के साथ (% प्रति वर्ष)

क्र. सं.	योजना/उत्पाद उधारकर्ता	राज्य क्षेत्र के उधारकर्ता/सीपीएसयू/जेवी			निजी क्षेत्र के उधारकर्ता		
		ए++	ए+	ए	आईआर 1	आईआर 2	आईआर 3
1	पारंपरिक उत्पादन	9.50	10.25	10.50	10.00	10.25	10.50
2	पारंपरिक उत्पादन का आर एंड एम (स्मॉल कैपेक्स सहित)	9.00	9.75	10.00	9.50	9.75	10.00
3	एफजीडी आदि जैसे प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों की स्थापना।	8.50	9.00	9.25	8.75	9.00	9.25
4	गैर-पारंपरिक उत्पादन- नवीकरणीय ऊर्जा (पवन और सौर)। अन्य परियोजनाओं के लिए टिप्पणी संख्या 8 देखें	8.25	8.75	9.00	8.50	8.75	9.00
5	पारेषण	8.50	9.00	9.25	9.00	9.25	9.50
6	वितरण	-	9.25	9.75	9.25	9.75	10.00
ख.	मासिक रेस्ट के आधार पर (% प्रति वर्ष)						
7	अल्पावधि ऋण और परिक्रामी बिल भुगतान सुविधा (आरबीपीएफ-केवल राज्य क्षेत्र के लिए)						
(क)	6 महीने तक की अवधि (बिना किसी रीसेट के)	6.25	6.50	6.75	कृपया केवल एसटीएल के लिए टिप्पणी संख्या 13 देखें		
(ख)	अवधि > 6 महीने से 12 महीने तक (6 महीने के रीसेट के साथ)	6.50	6.75	7.00			
8	मध्यम अवधि ऋण (बिना किसी रीसेट के)	8.50	9.00	9.25			

टिप्पणियां:

1. उपरोक्त संशोधित ब्याज दरें अगली अधिसूचना तक 20 जनवरी, 2022 को या उसके बाद किए गए सभी संवितरणों के संबंध में लागू होंगी।
2. **◆** राज्य क्षेत्र/सीपीएसयू/जेवी-ग्रेड बी और सी उधारकर्ताओं के लिए ब्याज दरें ग्रेड ए पर लागू ब्याज दरों की तुलना में क्रमशः 25 बीपीएस और 50 बीपीएस अधिक होंगी।
◆ निजी क्षेत्र-ग्रेड आईआर-4 और आईआर-5 उधारकर्ताओं के लिए ब्याज दरें ग्रेड एलआर-3 पर लागू ब्याज दरों की तुलना में क्रमशः 25 बीपीएस और 50 बीपीएस अधिक होंगी।
3. "हर 3 साल के बाद रीसेट" वाले ऋण के लिए ब्याज दर "हर 1 साल के बाद रीसेट" वाले सावधि ऋण की दरों से 25 बीपीएस अधिक होगी।
4. सभी योजनाओं/उत्पादों के लिए 1 वर्ष का रीसेट विकल्प उपलब्ध है। जहां ऋण दस्तावेज 01.04.2021 को या उसके बाद निष्पादित किए गए हैं।
5. "हर 10 साल के बाद रीसेट" का विकल्प केवल 01/09/2020 से पहले स्वीकृत ऋणों के लिए उपलब्ध है और ब्याज दर "हर 3 साल के बाद रीसेट" वाले सावधि ऋण की दरों से 15 बीपीएस अधिक होगी।
6. यदि घरेलू सामग्री 75% या अधिक है, तो 01.04.2021 को या उसके बाद स्वीकृत सभी सौर परियोजनाओं के लिए कार्ड दर पर 10 बीपीएस की छूट दी जाएगी।
7. एफजीडी आदि की दरें उपरोक्त क्र.सं. 3 पर केवल चालू परियोजनाओं में ऐसे उपकरणों की स्थापना के लिए लागू हैं। अन्य मामलों में, पारंपरिक उत्पादन की दरें लागू होंगी।
8. लघु जलविद्युत (25 मेगावाट तक), बायोमास और अपशिष्ट से ऊर्जा परियोजनाओं के लिए, ब्याज दर लागू नवीकरणीय ऊर्जा दरों से 50 बीपीएस अधिक होगी। 25 मेगावाट से अधिक क्षमता की जलविद्युत परियोजनाओं के लिए, पारंपरिक उत्पादन दरें लागू होंगी।
9. अन्य ऋण उत्पादों पर लागू ब्याज दरें: **(मासिक रेस्ट, 1 वर्ष का रीसेट)**

क्र. सं.	राज्य क्षेत्र के उधारकर्ताओं/सीपीएसयू/जेवी के लिए विवरण:	लागू ब्याज दरें
क	विनियामक परिसंपत्तियों के लिए वित्तपोषण	वितरण + 190 बीपीएस
ख	कम्प्यूटरीकरण/अध्ययन के लिए वित्तीय सहायता	पारंपरिक उत्पादन का आर एंड एम (स्मॉल कैपेक्स सहित)
ग	डिस्कॉम को ट्रांज़िशनल वित्तपोषण	वितरण + 75 बीपीएस
घ	नवीकरणीय - आरपीओ (केवल मौजूदा ऋणों के लिए)	वितरण + 50 बीपीएस
ड	बड़ी सिंचाई परियोजनाओं में इलेक्ट्रो/	सभी ग्रेडों में पारंपरिक

	जलविद्युत मैकेनिकल घटक (सरकारी गारंटी के साथ)	उत्पादन 'ए+'
च	विशेष सावधि ऋण	3 वर्ष तक की अवधि - एमटीएल दरें) बिना किसी रीसेट के(, अवधि > 3 वर्ष की योजना दरें +50 बीपीएस (1 वर्ष के रीसेट के साथ)
सभी उधारकर्ताओं के लिए:		
छ	परियोजना विशिष्ट वित्तपोषण	गैर पारंपरिक उत्पादन + 50 बीपीएस
ज	उपकरण विनिर्माण (नवीकरणीय ऊर्जा के अलावा)	पारंपरिक उत्पादन + 50 बीपीएस
झ	नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण विनिर्माण संबंधी परियोजनाएं	गैर-पारंपरिक उत्पादन नवीकरणीय ऊर्जा + 50 बीपीएस

10. 01.04.2021 को या उसके बाद स्वीकृत सभी ऋणों (एसटीएल, आरबीपीएफ, एमटीएल और 9(ई) को छोड़कर) के लिए, सुरक्षा के रूप में सरकारी गारंटी प्रदान करने और त्रिपक्षीय करार में प्रवेश के लिए क्रमशः आरबीआई बैकस्टॉप व्यवस्था के माध्यम से भुगतान सुरक्षा के लिए अधिकतम 50 बीपीएस की छूट के अधीन उपरोक्त दरों पर 25 बीपीएस छूट और 50 बीपीएस छूट की अनुमति दी जाएगी।
11. 01.04.2021 को या उसके बाद की मंजूरी के लिए, 6 महीने के संतोषजनक वाणिज्यिक संचालन के बाद, पारंपरिक उत्पादन और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए उपरोक्त दरों पर 25 बीपीएस की पोस्ट सीओडी छूट की अनुमति है। निजी क्षेत्र के उधारकर्ता को छूट का लाभ जारी रखने के लिए दिशानिर्देशों के अनुसार, सीओडी के एक वर्ष के भीतर और उसके बाद हर साल बाहरी रेटिंग (निवेश ग्रेड से कम नहीं) जमा करनी होगी।
12. यदि किसी उधारकर्ता/परियोजना को इंड-एस के अनुसार स्टेज 2 श्रेणी में डाउनग्रेड किया जाता है, तो 01.04.2021 को या उसके बाद स्वीकृत ऋणों के लिए ऋण पर लागू ब्याज दरें अपग्रेड होने तक 25 बीपीएस अधिक होंगी।
13. ए1, ए2 और ए3 रेटिंग वाले निजी क्षेत्र के उधारकर्ताओं के एसटीएल के लिए ब्याज दरें क्रमशः 8.90%, 9.40% और 9.90% होंगी।
14. एएए रेटेड राज्य क्षेत्र के उधारकर्ताओं/सीपीएसयू/जेवी के लिए ब्याज दरें ग्रेड ए++ पर लागू दरों के समान होंगी।
15. उत्पादन परियोजनाओं के मामले में, यदि कोई सरकारी क्षेत्र एंटीटी (एएए रेटेड कंपनियों के अलावा) है जिसे वर्तमान में रेटिंग नहीं दी गई है, तो श्रेणी 'ए' राज्य क्षेत्र के उधारकर्ताओं

पर लागू ब्याज दरें ऐसी संस्थाओं पर लागू होंगी, जब तक कि इसे रेटिंग नहीं दी जाती है।

16. संबंधित त्रैमासिक दरों के लिए, उपरोक्त ए और टिप्पणी संख्या 9 पर दरों के लिए और प्रभावी वार्षिक ब्याज दरों के लिए, कृपया इस ऋण नीति परिपत्र से जुड़े अनुलग्नक-ख को देखें।

आरईसी लिमिटेड

प्रभावी ब्याज दरें

ब्याज दर		
मासिक रेस्ट पर (%)	त्रैमासिक रेस्ट पर प्रभावी ब्याज दर (%)	प्रभावी वार्षिक दर (%)
6.25	6.28	6.43
6.50	6.54	6.70
6.75	6.79	6.96
7.00	7.04	7.23
7.25	7.29	7.50
7.50	7.55	7.76
8.10	8.15	8.41
8.35	8.41	8.68
8.40	8.46	8.73
8.50	8.56	8.84
8.65	8.71	9.00
8.90	8.97	9.27
9.00	9.07	9.38
9.15	9.22	9.54
9.25	9.32	9.65
9.40	9.47	9.82
9.65	9.73	10.09
9.90	9.98	10.36
10.15	10.24	10.64
10.40	10.49	10.91
10.65	10.74	11.19
10.90	11.00	11.46
11.15	11.25	11.74
11.40	11.51	12.01
11.55	11.66	12.18
11.65	11.76	12.29
11.80	11.92	12.46
11.90	12.02	12.57
12.05	12.17	12.74
12.30	12.43	13.02
12.55	12.68	13.30
12.80	12.94	13.58